न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान रान्नी शर्मा आदि बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –233 / 2025
निर्णय दिनांक ....22/07/2025...

1. रान्नी शर्मा पुत्र मनफूल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 20 तारानगर जिला चूरू
2. अजय कुमार शर्मा पुत्र मनफूल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 20 तारानगर जिला चूरू
3. कंचन पुत्री मनफूल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 20 तारानगर जिला चूरू
4. गायत्री देवी पत्नी मनफूल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 20 तारानगर जिला चूरू
5. रीचा पुत्री मनफूल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 20 तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर पटवार हल्का तारानगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 642 के खसरा सं. 177 तादादी 0.2782 हैक्ट., ख.नं. 178 तादादी 0.5058 हैक्ट. ख.नं. 183 तादादी 0.5058 हैक्ट., ख.नं. 196 तादादी 0.2150 हैक्ट. ख.नं. 258 तादादी 2.8072 हैक्ट., ख.नं. 259 तादादी 1.6439 हैक्ट., ख.नं. 276 तादादी 3.1739 हैक्ट., ख.नं. 277 तादादी 3.1486 हैक्ट., ख.नं. 278 तादादी 7.0433 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में भूलवश गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम फूलचन्द दर्ज हो गया, जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण के पिता व पति का सही नाम मनफूल शर्मा है। प्रार्थीगण के पिता व पति के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रार्थीगण के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम फूलचन्द अंकित है जबकि प्रार्थीगण के पिता व पति का सही नाम मनफूल शर्मा है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर पटवार हल्का तारानगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 642 के खसरा सं. 177 तादादी 0.2782 हैक्ट., ख.नं. 178 तादादी 0.5058 हैक्ट. ख.नं. 183 तादादी 0.5058 हैक्ट., ख.नं. 196 तादादी 0.2150 हैक्ट. ख.नं. 258 तादादी 2.8072 हैक्ट., ख.नं. 259 तादादी 1.6439 हैक्ट., ख.नं. 276 तादादी 3.1739 हैक्ट., ख.नं. 277 तादादी 3.1486 हैक्ट., ख.नं. 278 तादादी 7.0433 हैक्ट. में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम मनफूल शर्मा किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम फूलचन्द व मनफूल शर्मा दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम मनफूल शर्मा पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम फूलचन्द अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर पटवार हल्का तारानगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 642 के खसरा सं. 177 तादादी 0.2782 हैक्ट., ख.नं. 178 तादादी 0.5058 हैक्ट. ख.नं. 183 तादादी 0.5058 हैक्ट., ख.नं. 196 तादादी 0.2150 हैक्ट. ख.नं. 258 तादादी 2.8072 हैक्ट., ख.नं. 259 तादादी 1.6439 हैक्ट., ख.नं. 276 तादादी 3.1739 हैक्ट., ख.नं. 277 तादादी 3.1486 हैक्ट., ख.नं. 278 तादादी 7.0433 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम फूलचन्द Delete कर इसके स्थान पर मनफूल शर्मा अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....22/7/2025.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)